

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्वाचन व्यय लेखे के रजिस्टर क्रमांक२३..... में

पृष्ठ संख्या२१..... से३१..... तक है।

क्र.सं.	विवरण	पेज क्रमांक	
		से	तक
1	अनुलग्नक-ड 1-भाग-क : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर	05	106
2	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ख : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर	107	172
3	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ग : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर	173	239
4	अनुसूचियां - 1 से 11	240	298
5	अनुलग्नक-ड 2 : निर्वाचन व्ययों का सार विवरण - भाग I से IV	299	302
6	अनुलग्नक-घ 1 : जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा	303	310
7	पावती प्रपत्र	311	-



हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 153, बल्लभनगर
(उप खण्ड अधिकारी एच ३५ खण्ड मार्केट, बल्लभनगर)

..... निर्वाचन क्षेत्र

तिथि

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों निर्वाचन व्यय
लेखे के रख रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : रूपलाल मेनारिया

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है : नि.द.ली.य

निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से चुनाव लड़ा गया : बल्लभ म नगर विधान सभा

परिणाम घोषणा की तारीख : 3/12/23

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और पता :

उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: रुमल 100 मेन/12/24
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीय
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: 155 वाकर मकान
 (नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1 व्यय/घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि रु में (भुगतान किया गया+बकाया)	4 आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
14/11/23	जीय	1	2625	2625	
12/11	क12/24	1	2625	2625	
15/11	मि/24	1	420	420	
15/11/23	जीय	1	2625	2625	
"	कोहीय	1	2625	2625	
"	मि/24	1	420	2625 420	
16/11/23	जीय	1	2625	2625	
"	कोहीय	1	2625	2625	
"	मि/24	1	2625 420	420	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77

(भाग - क)

के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

परिणाम की घोषणा की तारीख: 14/11/24
 निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता: निर्दलीय
 उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय: 155 वाकर मकान
 की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

5 बिल सं / वाउचर सं और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	7 राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किन्हीं अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	9 शिपमेंट यदि कोई हो।
15/11/23				

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: रमेश चंद्र शर्मा
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: भा.ज.पा.
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: 155 वरुणमन

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1 व्यय/घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि रु में (पुनस्तान किया गया + बकाया)	4 आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
17/11/23	बीए	1	2625	2625	
1	कार	1	2625	2625	
1	ला. ला.	1	420	420	
<p>नोट - बीए - कार एवं ला. ला. व्यय का अर्थ है व्यय के आधारे है भा.ज.पा. तेल 5 ली. x 84 है कार के 500/-</p>					

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77

(भाग - क)

के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

परिणाम की घोषणा की तारीख:
 निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता:
 उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय:
 की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

5 बिल सं / वाउचर सं और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि	7 राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/व्यक्ति/ किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (पूर नाम और पता लिखें)	9 दिए गयी यदि कोई हो।
<p>Inspection conducted till 17/11/23</p> <p>1) कुल व्यय - Part A - B-61,330/-</p> <p>2) कुल व्यय - B-13 - A-61,330/-</p> <p>No difference</p> <p>18/11/23</p>				

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

(भाग - ख)

अभ्यर्थी का नाम: सुप्रीम मेनारिया
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीन
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: 155 - बलभद्रगढ़

के लेखे के रख-रखाव के लिए नकद रजिस्टर

परिणाम की घोषणा की तारीख: 03/12/2023

निर्वाचन एजेंट का नाम और पता:

नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम

की घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियों सहित)

प्राप्ति				
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/ किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या/ वाउचर संख्या तथा तिथि
1	2	3	4	5
23/11/23	एचएमसी/आर		500	
23/11/23	स्वयं के बैंक ऑफ़ से		4500/-	
23/11/23				

भुगतान		राशि	शेष राशि	टिप्पणी यदि कोई हो
प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	व्यय की प्रकृति	राशि	वह स्थान जहाँ पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें।)	कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग-1 के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए।
6	7	8	9	10
स्वयं के बैंक से	आर	5000	5000/-	
			4500/-	
मेनारिया/आर/गोपाल	इकाई	4500	5000/-	रसीद संख्या 2585/23-11-23 बिल संख्या 45894/23-11-23 बिल संख्या 25-11-23 मा. 25/11/23

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेंट

द्वारा रखी गयी सही प्रति है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)।


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: कपलाल मेनारिया
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीन
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा था: 155- नल्लप्रनगर
 परिणाम की घोषणा की तारीख: 03/11/2023

नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम

दिनांक	जमा	नकद/चैक संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा	राशि	चैक संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
02/11/23	स्वयं द्वारा	RMG B प्रेक्टर	5000	
23/11/23	स्वयं			

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेंट

(भाग - ग)
 के लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर

निर्वाचन एजेंट का नाम और पता:
 बैंक का खाता: RMG-B
 शाखा का पता: प्रेक्टर
 खाता सं.: 83087298256

की घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियों सहित)

भुगतान			शेष	टिप्पणी यदि कोई हो
प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि		
6.	7.	8.	9.	10.
			5000/-	
स्वयं	नकद	4500	500/-	निर्वाचन खाते में जमा किया गया

द्वारा रखी गयी सही प्रति है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)


 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुसूचियां-1 से 11: निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण

अनुसूची-1					
जनसभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात् राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ किए गए व्यय के अलावा) में व्यय					
क्र.सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धनराशि रुपये में	व्यय के स्रोत		
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा उभगत/अधिकृत कुल राशि	राजनैतिक दलों के नामसहित उभगतिराशि	अन्यों के द्वारा उभगत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आगतुकों को लाने, ले-जाने के लिए वाहन				
2.	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि तैयार करना				
3.	तोरण एवं बैरकेड आदि				
4.	फूल/माला				
5.	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्प्लिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना				
6.	पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलेट, बैनर, कटआउट, हाइडिंग				
7.	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक, जूस आदि				
8.	डिजिटल टी.वी. बोर्ड डिस्प्ले, प्रोजेक्टर डिस्प्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिस्प्ले				
9.	गणमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि				
10.	प्रकाश की नदें जैसे पल्लिबद्ध लाइट, बोर्ड आदि				
11.	परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/ एयरक्राफ्ट / वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गणमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य प्रचारक के लिए)				
12.	विद्युत खर्च/ जनरेटर प्रभार				
13.	स्थल के लिए किराया				
14.	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार				
15.	स्वयं, गणमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित किसी अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय				
16.	अन्य व्यय				
	कुल				

(240)

अनुसूची-2

स्टार प्रचारक (को) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी के लिए यथा प्रभाजित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं)						
क्र.सं.	दिनांक एवं स्थान	स्टार प्रचारक (को) के नाम एवं दल का नाम	व्यय का स्रोत			टिप्पणी यदि कोई हो।
			अभ्यर्थी/एजेंट के द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

(241)

अनुसूची-3

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्पलेट्स, पोस्टरों, होडिंग, बैनरों, कटआउट्स, गेट एवं आर्च, वीडियो एवं ऑडियो कैसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाउड स्पीकरों, एम्प्लिफायरों, डिजिटल टी. वी./बोर्ड डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात्: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.स.	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि रुपये में	व्यय के स्रोत			टिप्पणी यदि कोई हो।
			अभ्यर्थी/एजेंट के द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	लाउड स्पीकर	6300			6300/-	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

(246)

अनुसूची-3

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्पलेट्स, पोस्टरों, होडिंग, बैनरों, कटआउट्स, गेट एवं आर्च, वीडियो एवं ऑडियो कैसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाउड स्पीकरों, एम्प्लिफायरों, डिजिटल टी. वी./बोर्ड डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात्: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.स.	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि रुपये में	व्यय के स्रोत			टिप्पणी यदि कोई हो।
			अभ्यर्थी/एजेंट के द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

(247)

अनुसूची-7

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धनराशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
कुल					

(276)

अनुसूची-8

पार्टी (यों) से नकद या बैंक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण						
क्र.सं.	राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धनराशि रुपये में	टिप्पणी, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(277)

ध्यान दें

1. अनुसूची 5 में :-

(क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, सलमन की जानी है।

(ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए सम्बन्धित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

3. भाग-3 में राजनैतिक दल या अन्यो से प्राप्त निधि या अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथि-वार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।

4. सार शिक्की का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/बुर्जुअल कैम्पेन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुबंध-च9 पर रखा हुआ है।)

(298)

अनुलग्नक-ड 2

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण		
I	अभ्यर्थी का नाम	✓ श्री/श्रीमती/कुमारी के.एस. शशि
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	155. पारलमन्टरी
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ओ.प.राज्य
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप/निर्वाचन का उल्लेख करें)	विधान सभा आग. सुकम 2022
V	परिणाम घोषित करने की तारीख	03-12-2023
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	—
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	जि.द.ली.प
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हां/नहीं ✓

दिनांक :

स्थान : 3/4/2024

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

के.एस. शशि
155. पारलमन्टरी
ओ.प.राज्य
आग. सुकम 2022

(299)

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण


क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ (3), (4) एवं (5) का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् राजनैतिक दल के स्टाफ प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें) II ख स्टाफ प्रचारक (को) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात् साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संलग्न करें)				
II	क्रम तालिका-ख में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संलग्न करें)			6300	6300
III	(क) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें) (ख) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रयोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें)				
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संलग्न करें)	4500		78750	83250
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अधिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संलग्न करें)				
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय			10500	10500
VII	आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उगत व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न करें)				
VIII	VIII वर्धुअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संलग्न करें)				
	कुल योग	4500		95,500	100,000

(300)

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संलग्न करें)	5000/-
II	पार्टी (पार्टियों) से नकदी या बैंक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-8 के अनुसार संलग्न करें)	—
III	किरीसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/सर्वो/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या बंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संलग्न करें)	—
	कुल योग	5000/-

(301)



राजस्थान RAJASTHAN
13 OCT 2023

BP 421995

भाग-IV
शपथ-पत्र का प्रारूप

जिला निर्वाचन अधिकारी उदयपुर (जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के समक्ष
श्री/श्रीप्रती/श्री रूपलाल मेहता पुत्र/पत्नी/पुत्री मोतीबाबाजी का शपथ पत्र
ने रूपलाल पुत्र/पत्नी/पुत्री मोतीबाबाजी आयु 69
वर्ष निर्वासी 69 भावलगाँव/उप/भाम एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ:-
मह कि मैं, रूपलाल का वत्सल ससदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
श्री लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला/वाली अभ्यर्थी था/थी,
जिसे निर्वाचन परिणाम 3/12/23 को घोषित किया गया था।
मह कि उपरोक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 3/11/23 (यह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं उसके
निर्णय/घोषणा की तारीख, दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन
अधिकारी द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।
यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर,
इस लेखा के अतिरिक्त अनुसमर्थक वाउचर/बिल के साथ संलग्न है।



- (4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखों में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल, अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।
- (5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के अनुसूचक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।
- (6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी & admitted the contents of this affidavit is to be true & correct दिनांक 7/12/2023 द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।
मेरे समक्ष 202...
ATTESTED
(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

AJIT PRASAD NIMDIA
NOTARY
Vallabh Nagar, Dist. Udaipur (Raj)
7/12/2023

रिटर्निंग ऑफिसर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 155-वल्लभनगर जिला - उदयपुर

क्रमांक:-निर्वा/विसचु/2023/986

दिनांक:- 22/11/2023

अभ्यर्थी श्री...रुपलाल भेनारिया.....

.....मिडिलीप.....

अभ्यर्थी, विधानसभा आम चुनाव 2023
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर

विषय:- विधानसभा आम चुनाव 2023 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत दिनांक 22.11.2023 को निर्वाचन व्यय लेखों की उपस्थित नहीं होने के क्रम में नोटिस।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप विधानसभा आम चुनाव- 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत आपको अपने निर्वाचन व्यय लेखों का संधारण किया जाना अनिवार्य है। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 761 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77-78 के तहत पत्र जारी कर दिनांक 14.11.2023 दिनांक 18.11.2023 एवं दिनांक 22.11.2023 को (तीन बार) आप स्वयं या आपके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक महोदय के समक्ष आपके निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखों की जांच करवाने हेतु सूचित किया गया।

इस हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार व्यय का तृतीय निरीक्षण आपको दिनांक 22.11.2023 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर करवाया जाना था लेकिन आप द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखों का निरीक्षण निर्धारित दिनांक को नहीं कराया गया है।

अतः आप दिनांक 24.11.2023 को 2.00 P.M. बजे इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपने निर्वाचन व्यय लेखों का निरीक्षण आवश्यक रूप से करवाये अन्यथा आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77-78 का उल्लंघन माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सूचित रहे।

रिटर्निंग ऑफिसर

वल्लभनगर-155 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

o/c

उपखण्ड मजिस्ट्रेट वल्लभनगर

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर)

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान व्यय पर्यवेक्षक महोदय, विधानसभा आम चुनाव, 2023 को सूचनार्थ।
2. श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर महोदय, वल्लभनगर) को सूचनार्थ।
3. सहायक व्यय पर्यवेक्षक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

रिटर्निंग ऑफिसर

वल्लभनगर-155 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उपखण्ड मजिस्ट्रेट वल्लभनगर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155, वल्लभनगर

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर)

Rud o/c

25/11/23
Album

श्री २००० संविधान संशोधन को
संख्या १२३/२३ के अंतर्गत

पुणे - ५५ दिनांक २३/११/८६

विषय - संख्या २ दिनांक २३/११/८६ के अंतर्गत
संशोधन

आज्ञा की जाती है कि निर्वाचन के संबंधित (१) से
संबंधित संशोधन को लागू किया है।
दिलेख २३/११/८६ को लागू का घोषणा किया गया था
जो पत्र २३/११/८६ में उल्लेख है। न तो कोई
कोई अतिरिक्त न प्रतिनिधि, न स्वयं -
उत्प्रेषण ही संभव है।

उपरोक्त संशोधन के अंतर्गत निर्वाचन
की जाति एवं की (१) से संबंधित उपाय लेख अथवा
इसके अंतर्गत प्रतिनिधि उपाय - ६ दिनांक २३/११/८६
सभी दल हर वर्ष पर २० कार्यकर्ता और सौ से जाति
लगाए रखी हैं निर्वाचन आयोग की पालना की है।
१९९० - गणतन्त्र दिनांक २३/११/८६ में सार
अनुसूचित संख्या ६ लिख रहे हैं, उपाय आदेशों के
न में वास्तविक संख्या ६

आतः सर्वे व्यवहारों को स्वीकार का आरोप
करना, अतः पत्रों में निर्वाचन आयोग
दिल्ली तक जायज को उपस्थित रहेंगे।

२३/११/८६

२३/११/८६
निर्वाचन प्रशासक

By - mall